



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन)

नियम पुस्तिका

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत
Human Resource for Operationalization of Tele MANAS Cell
एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इन्दौर एवं मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर हेतु
संविदा काउन्सलर चयन के लिये

(2022-2023)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत Human Resource for Operationalization of Tele MANAS Cell एम.जी.एम मेडिकल कॉलेज इन्दौर (20 पद) एवं मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर में (20 पद) इस प्रकार कुल 40 पद संविदा काउन्सलर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

एनएचएम, म.प्र., संविदा काउन्सलर के 40 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31, मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:

१. संविदा काउन्सलर (मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) पद का विवरण:

क्र	पद का नाम	पद का कोड	कुल सीटें	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाती (16%)		ओबीसी-(27%)*		रिक्तियों में से मध्यप्रदेशकी मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	वी एच	एच एच	ओ एच	एम डी
१.	संविदा काउन्सलर (मानसिक स्वास्थ्य)	CNSLR-MANA S-MPNH M	40	08	04	2	1	5	3	4	2	7	4	-	-	1	1

- VH (दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि)
- HH (बहरे कम सुनने वाले)
- OH लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी
- MD (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता)
- निःशक्तजनों के लिये, संविदा साइकियाट्रिक नर्स के लिये 03 पद रिक्ति से उक्त पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्त इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

समान्य निर्देशों, साक्षात्कार तारीख की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करके <http://www.nhmmp.gov.in/> या www.sams.co.in पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 26/08/२०२२ पूर्वाह्न १२:०१ बजे से होगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02/09/२०२२ को रात ११:५९ बजे है।

२. शैक्षिक और अन्य पात्र

२.१ Masters in Clinical Psychology / Social Work .or other related disciplines such as MA Sociology/Psychology

OR

Bachelors in psychology or social work or nursing with 2 years' experience in mental health work, preferably counselling.

Desirable: Experience in mental healthcare delivery and counselling

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- संविदा काउन्सलर हेतु Masters in Clinical Psychology / Social Work or other related disciplines such as MA Sociology/ Psychology OR Bachelors in Psychology or Social Work or Nursing with 2 years' Experience in Mental Health Work, preferably Counselling की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं डिग्री उत्तीर्ण के उपरान्त Experience in mental healthcare delivery and counselling का अनुभव प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त योग्यता के लिए केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (Full-Time-Course) पर विचार किया जायेगा।
- अनिवार्य पंजीकरण के बाद के अनुभव पर विचार किया जाएगा।

२.३ योग्यता अनुभव और पंजीकरण की गणना के लिये संदर्भ तिथि: ०१/०८/२०२२

३. *आयु सीमा: २१-४० वर्ष (* आयु गणना की संदर्भ तिथि: ०१/०१/ २०२३)

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C 3-8/ 2016/ 1/ 3 दिनांक जुलाई 04, 2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण: आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

४. वेतन:

४.१ चयन के बाद, उम्मीदवार को संविदा काउन्सलर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह /- 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा।

५. आरक्षण नियम:

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

५.२ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे।

६. आवेदन प्रक्रिया:

६.१ उम्मीदवारों को **2/09/2022** की मध्यरात्रि ११:५९ बजे तक या उससे पहले **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** (सैमस) के वेबसाइट पर उपलब्ध **ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ)** को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;

६.२ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

६.३ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

६.४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

६.५ आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;

६.६ पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

६.७ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए **2 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर)** दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;

६.८ सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।

६.९ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:

(क) लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटेक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (ओएच)

(ख) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता। (एमडी)

(ग) विकलांग (दिव्यांग), हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम ५० प्रतिशत को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबधिता विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा ६० प्रतिशत स्वीकार्य।

७. चयन प्रक्रिया:

७.१ संविदा काउन्सलर के चयन के लिए Human Resource for operationalization of Tele MANAS Cell

एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इन्दौर एवं मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

७.२ उम्मीदवारों का चयन आरक्षण अनुसार मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा (कृपया विस्तृत चयन प्रक्रिया के लिए ANNEXURE I देखें)

७.३ चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए।

७.४ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी;

७.५ निर्हता/अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार :-

१. साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
२. प्रतिरूपण किया जाना।
३. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
४. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
५. रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना ।
६. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना ।
७. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
८. पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो।
९. महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो।
१०. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हुई हो।
११. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लंबित है या दण्डित किया गया हो।

८. स्थान आवंटन

८.१ मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

८.२ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि “मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, एनएचएम, म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम, म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

९. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया

(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित संस्था प्रमुख द्वारा किया जाएगा;

(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे;

(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा;

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा;

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

१०. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

१०.१ चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

* डिग्री उत्तीर्ण के उपरान्त Social work or nursing with 2 years experience in mental health work, preferably counselling का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर

वार मार्क शीट

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें;

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र;

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(ज) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ञ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/ आप्र/1/दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

(ट) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित संविदा काउन्सलर विशिष्ट रूप से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ही कार्यउत्तरदायित्व का निर्वाहन करेगी एवं स्वेच्छा से चाहे गये स्थानान्तरण भी चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में किये जायेंगे।

(ठ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ आंतरिक संविदा काउन्सलर लिए लागू होंगे

११. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद, और संविदा काउन्सलर के रूप में नियुक्ति के बाद, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

१२. **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा। **मिशन** आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। **मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश** को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा।

१३. **परिभाषाएँ:**

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा काउन्सलर** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ **आरक्षित श्रेणी का अर्थ:** - पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।

Selection Process Note

Contractual Counsellors (CNSLR-MANAS-MPNHM), under National Health Mission, Madhya Pradesh, 2022

For the selection and deployment of the candidates for the **Contractual Counsellors (CNSLR-MANAS-MPNHM)** position under **National Health Mission, Madhya Pradesh**, below selection process shall be followed:

1. Position Details:

S. No.	Position Name	Total Vacancies														Selection Process	*Ratio of Shortlisting for Online Interview
1	Contractual Counsellors	40 Vacancies														Scrutiny of Applications + Preparation of Merit List + Online Document Validation + (Online) Personal Interview	1:3
		UR (27%)		EWS (10%)		ST (20%)		SC (16%)		OBC (27%)		PH (6%)					
		Open	Women	Open	Women	Open	Women	Open	Women	Open	Women	VH	HH	OH	MD		
		08	04	02	01	05	03	04	02	07	04	-	-	01	01		

*In the event, less than **1:3** candidates qualify for Online Interview based on eligibility, Online Interviews may be carried out with the available number of qualified/ shortlisted candidates.

Note: In case of a tie-in between the two candidates, preference shall be given as per the details mentioned below in descending order

- (i) Preference shall be given to an elder candidate;
- (ii) Even then if the tie persists, the candidate obtaining the highest mark in 12th/ Higher Secondary shall be given preference;
- (iii) Even then if the tie persists, the candidate obtaining the highest mark in 10th shall be given preference.

2. Scrutiny of Applications (on Minimum Eligibility Criteria)/ and Validation of Documents Online:

The scrutiny of applications, received through online mode, shall be done on the minimum eligibility criteria as advertised.

Please Note: **Following documents shall be checked during scrutiny of applications; hence candidates must upload the following self-attested documents at the time of submission of online application form, without which the application will not be accepted.:**

- (1) Age Proof Document
- (2) Marksheet of High School Certificate Examination
- (3) Marksheet of Higher Secondary (10+2) Examination
- (4) Marksheet of all years of passing examination of essential educational qualification through which educational eligibility and percentage (%) filled by applicant can be validated.
- (5) Complete Experience Certificates through which experience eligibility and duration of experience filled by applicant can be checked/ validated;
- (6) Valid Caste Certificate issued by the competent authority (For post where reservation is applicable)
- (7) Domicile Certificate of Madhya Pradesh.

Note:

- (1) In the above documents, if the information is also mentioned on the back pages, then it will be mandatory to upload it too;
- (2) During scrutiny of applications if the above-mentioned documents shall not be found correct or percentage of qualification/ duration of experience shall not be validated, candidate's application shall be rejected.
- (3) Also, if it gets ascertained that documents produced are forged irrespective of the time elapsed, they shall be liable for the disqualification for the position immediately or as an when discovered.

After the scrutiny of applications, the list of eligible candidates shall be prepared. Once the list of eligible candidates is prepared, a merit list shall be prepared based on the following parameters.

3. Preparation of Merit List:

A merit list shall be generated in the ratio of 1:3 against each vacancy for the further selection process.

Following Parameters shall be taken into consideration while preparing the merit list:

Minimum Eligibility Criteria-1	Minimum Eligibility Criteria-2	Remarks
Masters in Clinical Psychology/ Social Work/ Other Related Discipline (M.A. Sociology/ Psychology)	Bachelor's in Psychology/ Social Work/ Nursing And Minimum 2 years' experience in mental health work, preferably counselling.	<p><u>Qualification Parameter:</u></p> <p>Once a candidate meets any of the given minimum eligibility criteria, their percentage of the marks secured in the essential qualification shall be considered to award the score under the relevant Qualification Parameter.</p> <p><u>Experience Parameter:</u></p> <p><u>For Minimum Eligibility Criteria-1:</u> If a candidate possesses the Minimum Eligibility Criteria-1, and has experience in mental health work, preferably counselling, s/he shall be able to get a score on the Experience Parameter.</p> <p>[Note: For candidates possessing the Minimum Eligibility Criteria-1, they shall be able to get the mark on each month of relevant experience. E.g., If a candidate has 01 months of relevant experience, in such scenario candidate shall be awarded a mark for his/her one-month experience, 1X0.25=0.25 Total Marks for experience criteria]</p> <p><u>Minimum Eligibility Criteria-2:</u> Candidates possessing the Minimum Eligibility Criteria-2, and have additional months of relevant experience, s/he shall be able to get a score on the Experience Parameter.</p> <p>[Note: No marks shall be awarded on a minimum number of years/ months on essential experience] (e.g., An Applicant has a total of 25 months of experience and as for this position essential experience for Criteria-2 is required of 24 months, in such scenario candidate shall be awarded mark for only one month, 1X0.25=0.25 Total Marks for experience criteria]</p> <p><i>Detailed SCORING MATRIX is given below as Appendix I.</i></p>

SCORING MATRIX (MPNHM Recruitment), 2022
(For Preparing the Merit-list for Online Personal Interview)
(Maximum Marks-100)

S. No.	Parameters	Max. Marks	Mark% of Essential Qualification and Additional Essential Experience (in Months)	Score Obtained	Description of Evaluation
1	Essential Qualification	50	100%	50	<p>Once a candidate meets any of the given minimum eligibility criteria, their percentage of the marks secured in the essential qualification shall be considered to award of the score under the Qualification Parameter.</p> <p>If a candidate has secured 60% marks for her/his qualification which is essential for the position as per the ToR, a total of 30 marks shall be awarded out of 50 Marks. (e.g. 50X60%=30 Marks)</p> <p>Consideration of Essential Qualification for awarding Marks:</p> <p>(A) If a candidate has Essential Masters Qualification as well as Essential Bachelors Qualification: His /her percentage of the marks secured in the Masters Qualification shall only be considered to award the score under Qualification Parameter, as his application shall be shortlisted directly based on the Essential Masters Qualification.</p> <p>(B) In case the candidate has multiple essential qualifications</p> <p>(i) If a candidate has Multiple Essential Masters Qualification as well as Multiple Essential Bachelors Qualification: His /her percentage of the marks secured in the Essential Masters Qualification shall be considered to award of the score under Qualification Parameter, as his application shall be shortlisted directly based on the Essential Masters Qualification. But the candidate shall be awarded the marks based on the Essential Masters Qualification where s/he secured more marks in comparison to her/his other degree (But the details of such course should be mentioned in the Online Form by the candidate);</p> <p>(ii) If a candidate has Multiple Relevant Bachelors Qualification in the event of this candidate shall be awarded the marks based on the degree where s/he secured more marks in comparison to her/his other degree (But the details of such course should be mentioned in the Online Form by the candidate).</p> <p>Note:</p> <p>a) Document validation team reserves the right for validation of Mark% of candidate degree and any deviation recorded at the time Document Validation Process shall disqualify the candidate;</p> <p>(b) In the case of CGPA grading, the document validation team shall calculate the CGPA in percentage based on grading for which the candidate shall produce documentary proof for the basis of calculation of percentage. If an applicant fails to present the above-supporting documents, he/she shall be liable for the disqualification/ cancellation of her/ his candidature.</p>

SCORING MATRIX (MPNHM Recruitment), 2022 (Contd.)

S. No.	Parameters	Max. Marks	Mark% of Essential Qualification and Additional Essential Experience (in Months)	Score Obtained	Description of Evaluation
2	Essential Experience	50	100% Marks for Additional 200 Months of Essential Experience [Note: No marks shall be awarded on minimum number of years/ months on essential experience for the candidate possessing the Minimum Eligibility Criteria-2]	50	<p><u>For Minimum Eligibility Criteria-1:</u> If a candidate possesses the Minimum Eligibility Criteria-1, and has experience in mental health work, preferably counselling, s/he shall be able to get a score on Experience Parameter.</p> <p>[Note: For candidates possessing the Minimum Eligibility Criteria-1, shall be able to get marks on each month of relevant experience. E.g., If candidate has 01 months of relevant experience, in such scenario candidate shall be awarded mark for his/her one-month experience, 1X0.25=0.25 Total Marks for experience criteria]</p> <p><u>Minimum Eligibility Criteria-2:</u> Candidates possessing the Minimum Eligibility Criteria-2, and have additional months of relevant experience, s/he shall be able to get score on Experience Parameter.</p> <p>[Note: No marks shall be awarded on a minimum number of years/ months on essential experience] (e.g., An Applicant has total 25 months of experience and as for this position essential experience for Criteria-2 is required of 24 months, in such scenario candidate shall be awarded mark for only one month, 1X0.25=0.25 Total Marks for experience criteria]</p>
Total Marks		100		100	

Note:

1. The above matrix shall be used for the preparation of the merit list for the further selection process (i.e. Online Personal Interviews).
2. The score obtained by candidates as per the above matrix shall not be used in the preparation of the final selection list.

4. Online Personal Interview:

Online video interviews shall be organized as per the scheduled date and time.

After the successful completion of the Online Video Interviews, results shall be prepared to apply the State reservation roster, if applicable, for the final selection of the candidate.

Candidates must score the below given cut-off marks in Online Video Interviews for preparation of merit list for final selection:

A) 33% for Un-Reserved/ EWS categories; **B)** 30% for OBC; and **C)** 24% for SC/ST

Note:

In case of a tie-in between the two candidates, preference shall be given as per the details mentioned below in descending order

(i) Preference shall be given to an elder candidate;

(ii) Even then if the tie persists, the candidate obtaining the highest mark in 12th/ Higher Secondary shall be given preference;

(iii) Even then if the tie persists, the candidate obtaining the highest mark in 10th shall be given preference.

5. Announcement of the Result:

The interview result shall be declared on **MP, NHM** and **SAMS** website and offer letter shall be issued to the selected candidates by **MP, NHM, SAMS** shall coordinate with selected candidates for the joining process.

Note: For more details regarding ToR, reservation, age, and application process please refer to the Rule Book of the position.